बेरखेड़ी में शाला भवन जर्जर, दालान में लग रहा स्कूल

बारिश होने और सीलन भरी दालान में शाला लगने से छात्र-छात्राएं हो रहे हैं बीमार

सईद नादां, नवभारत

बेगमगंज, 2 जुलाई. एक ओर सरकार शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा निवेश कर रही है तो दूसरी ओर ग्रामीण अंचल की शासकीय शालाएं अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है. ग्राम पंचायतों को दिया जाने वाला भारी भरकम बजट विकास के नाम पर औपचारिकता की भेंट चढ़ जाता है , लेकिन शालाओं के विकास के नाम पर कोई बजट उपलब्ध नहीं कराने से वो दुर्दशा का शिकार हो रही है.

तहसील को दर्जनों शासकीय शाला भवन आज जर्जर स्थिति में होने से वर्षा होते ही उनमें कक्षाएं लगना बंद हो जाती है. वैकल्पिक व्यवस्था के लिए पंचायत भवन , सरपंच या ग्राम पटेल की दालानों में औपचारिक रूप से कक्षाएं लगाई जा रही है.

ग्राम बेरखेड़ी जोरावर की शासकीय प्राथमिक शाला में दो शिक्षक प्रधानाचार्य गजराज सिंह एवं शिक्षिका प्रभा नायक है और 20 छात्र है. वर्षों पहले बना शाला भवन आज जीर्णशीर्ण स्थिति में है. इसकी मरम्मत या मेंटीनेंस नहीं होने के कारण कक्षाओं की छतों से पानी टपक रहा है. एक भी कमरा सुरक्षित नहीं है. जिसके कारण कमरे की वजह अब सीलन भरी दालान में शाला लग रही है. जिससे मासूम बच्चे बीमार हो रहे हैं.

शाला का पहुंच मार्ग कच्चा होने से वर्षा में कीचड़ दलदल में बदल गई है. अभिभावकों ने अपने बच्चों को शाला पहुंचने के लिए सड़क के साइड में पत्थर डालकर अस्थाई रास्ता बनाया है. इसके अतिरिक्त भवन के चारों ओर कीचड़ , गंदगी और बड़ी -बड़ी घांस , झाड़ियों से जहरीले कीड़ों का भी खतरा बना रहता है. बाथरूम जर्जर हो गया है तो उसका उपयोग पूरी तरह से बंद है. जहां पदस्थ शिक्षकों का कहना है कि मजबूरी है, बच्चों को पढ़ाना है तो कहीं भी कक्षाएं लगाना पड़ेंगी .

> जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो शाला भवन धीरे - धीरे क्षतिग्रस्त हो रहा है जो कभी भी धराशायी हो सकता है. बच्चों को भी खतरा बना रहता है.अभिभावकों ने अपने बच्चों की सुरक्षा की मांग की है. इस संबंध में ब्लॉक शिक्षाधिकारी राजेन्द्र श्रीवास्तव का कहना है कि सभी शैक्षणिक संस्था प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि क्षतिग्रस्त भवनों में कक्षाएं ना लगाएं . पंचायत स्तर पर किसी सुरक्षित भवन में कक्षाएं लगाने की व्यवस्था करें . क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से बजट की मांग की जा रही है .

एसबीआई ने किया पेंशनर्स, वरिष्ठजनों का सम्मान

बेगमगंज, 2 जुलाई. भारतीय स्टेट बैंक कृषि वाणिज्यिक शाखा बेगमगंज में बैंक के ग्राहकों विशेषत: वरिष्ठ नागरिकों, पेंशनर्स ,युवाओं एवं स्टाफ सदस्यों के साथ बैंक स्थापना दिवस केक काटकर एवं उन्हें बैंक की ओर से उपहार भेंट किए गए .

इस अवसर पर मुख्य प्रबंधक तेजस्वी पटेल ने बैंक पर विश्वास एवं सहयोग देने के लिए ग्राहकों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए वित्तीय साक्षरता/ साइबर फ्रॉड के बारे में उन्हें जागरूक किया. पेंशनर्स ओपी श्रीवास्तव, विनय खरे, ब्रजेश मल्होत्रा ने बैंक में अपने सकारात्मक स्मृतियां साझा करते हुए बैंक की कार्यप्रणाली की सराहना की . आज बैंक परिसर की विशेष सज्जा कर ग्राहकों के साथ केक काटने के चाकलेट का भी वितरण किया गया.

एक नजर में

महिलाओं ने की अवैध शराब बिक्री बंद करने की मांग

सिलवानी . क्षेत्र में बिक रही अवैध शराब को बंद कराने तथा आरोपियों पर पर सख्त कार्यवाही की मांग को लेकर बुधवार को जय आदिवासी युवा संगठन जयस ने राज्यपाल के नाम एसडीओपी को ज्ञापन सौप कर कार्रवाही की मांग की . बरसते पानी के बीच बजरंग चौराहा पर एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए समाज के महिला पुरुष थाना परिसर पहुंचे . यहां पर करीब 30 मिनट तक गीली जमीन पर बैठ कर नारेबाजी की तथा ग्रामों में बिक रही अवैध शराब पर तत्काल ही प्रतिबंध लगाने तथा आरोपियो पर सख्त कार्रवाई की मांग की . मौके पर जिले के विभिन्न थाने से आया पुलिस बल मौजूद रहा . ज्ञापन में उल्लेख किया है कि सिलवानी तहसील सहित जिले भर में अवैध शराब का विक्रय हो रहा है . जिसकी शिकायत सीएम कार्यालय, वित्त मंत्री कार्यालय, सांसद, कलेक्टर, थाना प्रभारी सिलवानी तथा चौकी जैथारी में लिखित सूचना दी गई . लेकिन किसी भी स्तर पर कार्रवाई नहीं हो सकी . ज्ञापन में तत्काल ही अवैध शराब विक्रय करने वालो के खिलाफ सख्त कार्रवाही की मांग की है .

संस्कार केंद्रों में पौधों का रोपण कर लिया संकल्प

सिलवानी . प्रकृति को हरा भरा बनाए जाने को लेकर शासकीय स्तर के अतिरिक्त सामाजिक संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों आदि के द्वारा पौधरोपण अभियान चलाया जा रहा है . इसी कड़ी में जनजाति क्षेत्र की शिक्षा विद्या भारती मध्य भारत प्रांत संचालित भाऊराव देवरस सेवा न्यास के द्वारा वनांचल ग्रामो में बृहद स्तर पर पौधरोपण अभियान चलाया गया . तहसील के खैरीखोदरा, देवरी, सनाईडार, ख़मखुवा, वीरपुर, पुददर, बर्रापौड़ी, सलैया, विछुआ, घूरपुर, जूनापुरा, फुलमार, पौड़ी, चैनपुर, गदर्रा, पौनार, पापड़ा, समनापुर, लमनयाऊ, मेहका, नारायणपुर, सोनपुरा, घोघरी, झावुआ पूरा, जामनपानी, महुआखेड़ा आदि ग्रामो मेंफूलदार, फलदार, छायादार सहित अनेक प्रजाति के पौधो का रापेण कर उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया गया . इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणो के द्वारा मौजूद रह कर पौधरोपण किया .

डिलीवरी के दौरान नवजात की मौत, जांच के आदेश

सलामतपुर . सांची ब्लॉक के दीवानगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मंगलवार को हुई एक गर्भवती महिला की डिलीवरी के दौरान नवजात की गर्भ में ही मौत हो गई . इस दर्दनाक हादसे के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए . मामला समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया . मीडिया ने इस खबर को बुधवार के दिन प्रमुखता से प्रकाशित किया था, जिसका बड़ा असर हुआ कि बुधवार को ही खुद सीएमएचओ हरिनारायण मंडरे और सीबीएमओ रवि प्रकाश राठौर दीवानगंज अस्पताल पहुंचे और मौके पर निरीक्षण किया . अधिकारियों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली . मरीजों से भी बातचीत कर अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया . सीएमएचओ ने स्पष्ट किया कि घटना की जांच के लिए समिति गठित कर दी गई है .

केबल में करंट से भैंस की मौत, पीड़ित ने मांगा मुआवजा

नवभारत न्यूज़

सलामतपुर, 02 जुलाई. बुधवार सुबह 7 से 8 बजे के बीच तिजालपुर गांव में स्तिथ डीपी की एलटी केबल में बारिश के कारण अचानक करंट आ गया. करंट की चपेट में आने से एक भैंस की मौके पर ही मौत हो गई. पीड़ित किसान ने शासन प्रशासन से मुआवजे की मांग की है. सलामतपुर थाने के प्रधान आरक्षक विकास श्रीवास्तव ने बताया एक आवेदन आया है जिसमें बताया गया है कि बुधवार सुबह सात से आठ बजे के बीच तिजालपुर गांव के किसान चरण सिंह यादव अपने घर से तीन भैंसों को चराने के लिए खेत पर लेकर जा रहे थे. तभी रास्ते में जिओ टावर के पास लगी बिजली डीपी एलटी केबल की चपेट में आने से उनकी एक भैंस की मौत हो गई.

युवक के अंधेकत्ल का पर्दाफाश, चार आरोपी गिरफ्तार

बेगमगंज, 2 जुलाई. बेगमगंज तहसील के ग्राम भुरेरु निवासी भरत कुशवाहा पिता तारा चंद कुशवाहा की हत्या कर दी गई थी. उनके हत्यारों को पुलिस ने 24 घण्टे में गिरफ्तार कर लिया है.

बता दें, 28 जून शनिवार को थाना जैसीनगर के ग्राम कंदेला के पास जंगल चौकी के पास पुलिस को एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई. शव बुरी तरह सड़-गल चुका था और उसकी शिनाख्त कठिन थी. शव की पहचान के लिए आसपास के थानों व जिलों को कंट्रोल रूम ,रेडियो मैसेज के माध्यम से सूचित किया गया.

इसके बाद शव की पहचान हल्के उर्फ भरत कुशवाहा पिता तारासिंह कुशवाहा निवासी ग्राम भुरेरू, थाना बेगमगंज, जिला रायसेन के रूप में की गई.

पहचान मृतक के परिजनों द्वारा उसके पहने हुए कपड़े, अंगूठी और चांदी की चैन के आधार पर की गई. मृतक का पैनल पीएम बीएमसी सागर में कराया गया, जिसमें स्पष्ट हुआ कि उसकी हत्या सिर पर भारी वस्तु से वार, गले में गमछे से घोंटने और धारदार हथियार से पेट पर वार कर की गई है. इस आधार पर थाना जैसीनगर में धारा 103(1) बीएनएस के अंतर्गत अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई. पुलिस अधीक्षक सागर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सागर एवं एसडीओपी राहतगढ़ के निर्देशन में थाना प्रभारी जैसीनगर उनि शशिकांत गुर्जर के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई, जिसमें विभिन्न तकनीकी विश्लेषण टीम को भी सम्मिलित किया गया. विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना पर ग्राम कंदेला निवासी रोहित कुशवाहा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि उसकी मौसी माया कुशवाहा को मृतक भारत कुशवाहा मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था. माया के कहने पर रोहित ने अपने मामा विष्णु पटेल एवं मित्र गजब सिंह ठाकुर के साथ मिलकर भारत कुशवाहा की योजनाबद्ध हत्या की.

पूछताछ में यह भी सामने आया कि माया कुशवाहा और मृतक के बीच दो वर्षों से संबंध थे, जो पिछले एक वर्ष से विवादास्पद हो चुके थे. भरत के जबरदस्ती संपर्क करने, गाली-गलौच, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी से परेशान होकर माया ने अपने रिश्तेदारों को भारत की हत्या के लिए उकसाया. 23 जून को माया ने भारत को बहाने से कंदेला बुलवाया, जहाँ पहले से छिपे तीनों आरोपियों ने जंगल में ले जाकर पत्थर पटककर, गमछे से गला घोंटकर एवं कुल्हाड़ी से काटकर उसकी निर्मम हत्या कर दी. हत्या के बाद मृतक का मोबाइल छुपा दिया गया तथा पर्स को सड़क पर फेंक दिया गया, जिसे टीम द्वारा जप्त किया गया है. साथ ही घटनास्थल से हत्या में प्रयुक्त पत्थर, कुल्हाड़ी एवं गमछा भी बरामद किए गए हैं. चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है. इस मामले को सुलझाने में थाना प्रभारी उप निरीक्षक शशिकांत गुर्जर, सउनि प्रवीण कुमार भलावी, प्रआर सतीश श्रीवास्तव, कृष्णकुमार यादव, सहयोग कुमार, सौरभ रैकवार, आरक्षक जितेन्द्र रजक, विनोद सिंह, काजी सईदउद्दीन, शशांक राजपूत, संदीप रैकवार, महिला आरक्षक तपस्या रजक, अनीता लोधी का योगदान रहा.

यात्री बस आगे चल रहे ट्रक में घुसी, बड़ा हादसा टला

सलामतपुर, 02 जुलाई. भोपाल-विदिशा स्टेट हाईवे-18 पर बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया. बालमपुर पेट्रोल पंप के सामने शक्ति कंपनी की एक तेज़ रफ्तार यात्री बस आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा घुसी.

In The Court Of Civil Judge Class-I, Begumganj, District Court, Raisen

Presiding Officer: श्रीमती अन्ना ग्लोरी माहेश्वरी

(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)

(RCS A/0000052/2021)

गजराज सिंह .... वादी

Vs

आजाद रानी ....प्रतिवादी

Process Id-/2025

पेशी दिनांक : 09/07/2025

प्रेषिती-

(1) श्रीमती राजाबाई पिता स्व. खिलान सिह दांगी पत्नी नारायण सिंह दांगी पता- निवासी ग्राम महुआखेडा कला तह. बेगमगंज जिला रायसेन म.प्र. (2) श्रीमति मेंदाबाई पत्नी मंगल सिंह दांगी पिता बलवंत सिंह पता-निवासी ग्राम चैनपुरा सरखडी जिला सागर म.प्र. (3) फूल रानी पत्नी स्व. घूमन सिंह दांगी तह. बेगमगंज जिला रायसेन म.प्र. पता- निवासी ग्राम मदनी (4) सुरेन्द सिंह पिता स्व. हरीसिंह दांगी तह. जैसीनगर जिला सागर म.प्र. पता- निवासी ग्राम बंजरिया (5) श्रीमति पार्वती बाई पिता स्व. बलवंत सिंह पत्नी विक्रांत सिंह दांगी पता- निवासी ग्राम पथरिया तह. व जिला दमोह म.प्र. (6) भारत सिंह पिता स्व. हरीसिह दांगी पता- निवासी ग्राम बंजरिया तह. जैसीनगर जिला सागर म.प्र.

यह कि प्रार्थी गजराज सिंह ने आपके विरूद्ध वाद हेतु के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात / हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके. आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें. आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा. साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें

यह आज तारीख 25 जून 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है.

न्यायाधीश, (अन्ना ग्लोरी माहेश्वरी)
व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
बेगमगंज, जिला रायसेन (म.प्र.)

युवाओं ने किया वृक्षारोपण

बेगमगंज, 2 जुलाई. वृक्षों एवं पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने युवाओं ने अनेक जगहों पर वृक्षारोपण कर उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया.

युवाओं के द्वारा बेगमगंज महार्षि कान्वेंट स्कूल, पीलपहाडी, कोकलपुर आश्रम में आंवला, सीताफल, मुनगा, नींबू, आम सहित दर्जनों फलदार वृक्षों का रोपण किया और उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया. वृक्षारोपण में उपस्थित महार्षि कान्वेंट स्कूल संचालक सरस जैन ने बताया कि वृक्षारोपण प्रकृति के संतुलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. युवाओं के द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है लोग पेड़ पौधे लगाक पर्यावरण को बेहतर बना सकते हैं और हरियाली फैलाई जा सकती है. वहीं विश्व हिन्दू परिषद जिला संयोजक भूपेंद्र राय ने बताया कि यह अभियान विभिन्न स्तरों पर चलाया जा रहा है जिसमें हम सभी के द्वारा जगह-जगह चाहे सरकारी हो, प्रायवेट हो या सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण किया जा रहा है. ताकि लोगों में वृक्षों के प्रति जागरूकता बढ़े.

देवरी में वनविभाग ने किया चरवाहा सम्मेलन

देवरी (रायसेन), 2 जुलाई. नगर देवरी के वन विभाग में चरवाहा सम्मेलन का आयोजन किया गया. इस चरवाहा सम्मेलन में सभी ग्रामों से चरवाहे तथा वनों में रहने वाले जागरूक नागरिकों को आमंत्रित किया गया था. इस सम्मेलन में रेंजर शिरोमणि मीणा ने वन्यसंरक्षण पर चर्चा की, चरवाहों और जंगल में रहने वाले लोगों को जंगल में जाते समय सावधानी बरतने और वन्य जीवन की रक्षा करने के बारे में जानकारी दी गई. रेंजर शिरोमणि मीणा ने जंगलों में रहने वाले लोगों को जंगल में वन्य जीवों के साथ सुरक्षित रहने के तरीके बताएं. उन्होंने कहा कि जंगल में अकेले ना जाए, झाड़ियां के आसपास ना जाएं, इसके अलावा अवैध कटाई शिकार या वनों को क्षति होने पर अधिकारियों को सूचित करें.

नवविवाहिता ने की आत्महत्या

बेगमगंज, 2 जुलाई. एक नवविवाहिता द्वारा बुधवार को अपनी ससुराल में घरेलू हिंसा से प्रताड़ना से तंग आकर जहर खाकर आत्महत्या कर ली. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.

एसडीओपी आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि बुधवार दोपहर एक नवविवाहिता उरूसा बी पति मुशीर खां 23 वर्ष निवासी कटरा मोहल्ला बेगमगंज के द्वारा अपनी ससुराल में ही जहर खाकर आत्महत्या कर ली. मृतका का एक वर्षीय पुत्र है. ससुराल पक्ष के लोग उसे सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे . जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया . घटना की सूचना डॉक्टर द्वारा पुलिस को दी गई. अस्पताल पहुंची पुलिस टीम ने मृतका के मायके पक्ष जोकि भोपाल में है उनका मोबाइल नम्बर लेकर उन्हें सूचित किया. शाम को मायके पक्ष से माँ , बाप , भाई , चाचा समेत अन्य परिजन बेगमगंज पहुंचे .मृतका की माँ फहमीदा बी पति अब्दुल रकीब खां निवासी हिनोतिया भोपाल ने आरोप लगाया कि दहेज में बोलोरो जीप मांग रहे थे, जबकि गृहस्थी का सभी सामान दिया है. उसकी चारों ननद उसे परेशान करती और मारपीट करती थी लेकिन आशा बी एवं जीनत नाम की सबसे छोटी ननद उसके साथ सबसे ज्यादा मारपीट कर प्रताड़ित करती थी .

उसका पति मुशीर भी उसके साथ मारपीट करता रहता था. वहीं सास ने 2 -3 बार उसे जलाया भी थी और तेल डालकर जान से मारने की धमकी देती रहती थी. ओर उसका ससुर मुकीद खां कुछ नहीं कहता था , चुपचाप सुनता रहता था. अगर उसे मायके हम लोगों से फोन पर बात करनी हो तो अपने सामने करवाते थे.

In The Court Of Civil Judge Class-I, Begumganj, District Court, Raisen

Presiding Officer: श्रीमती अन्ना ग्लोरी माहेश्वरी

(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)

(RCS A/0000015/2021)

गजराज सिंह दांगी .... वादी

Vs

प्रभुदयाल सिंह दागी ....प्रतिवादी

Process Id-/2025

पेशी दिनांक: 09/07/2025

प्रेषिती-

(1) श्रीमतह आजाद रानी पत्नि प्रभुदयाल सिंह पता निवासी ग्राम मदनी तह. बेगमगंज जिला रायसेन म.प्र. (2) छोटू पिता प्रभुदयाल सिंह पता निवासी ग्राम मदनी तह. बेगमगंज जिला रायसेन म.प्र. (3) राजा भाई पिता प्रभुदयाल सिंह पता- निवासी ग्राम मदनी तह. बेगमगंज जिला रायसेन म.प्र. (4) नीता पिता प्रभुदयाल सिंह पता- निवासी ग्राम मदनी तह. बेगमगंज जिला रायसेन म.प्र. (5) निकिता पिता प्रभुदयाल सिंह अवयस्क संरक्षिका माता श्रीमती आजाद रानी पता- निवासी ग्राम मदनी तह. बेगमगंज जिला रायसेन म.प्र. (6) गोलू पिता प्रभुदयाल सिंह पता- निवासी ग्राम मदनी तह. बेगमगंज जिला रायसेन म.प्र. (7) विनीता बाई पिता प्रभुदयाल सिंह पता -निवासी ग्राम मदनी तह. बेगमगंज जिला रायसेन म.प्र. (8) भूपेन्द सिंह पिता प्रभुदयाल सिंह पता- निवासी ग्राम मदनी तह. बेगमगंज जिला रायसेन म.प्र. (9) श्रीमती नंदा बाई पिता बलवंत सिंह दांगी पत्नी मंगल सिंह दांगी निवासी ग्राम चैनपुरा सरखडी जिला सागर म.प्र. (10) श्रीमती पार्वती बाई पिता स्व. बलवंत सिंह पत्नी विक्रांत सिंह निवासी ग्राम पथरिया जिला दमोह म.प्र.

यह कि प्रार्थी गजराज सिंह दांगी ने आपके विरूद्ध वाद हेतु के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात / हाजिर होने के लये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते हैं, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके. आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें. आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा. साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक है तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावे.

न्यायालय, (अन्ना ग्लोरी माहेश्वरी)
व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बेगमगंज
जिला रायसेन (म.प्र.)

संस्कारित शिक्षा | वनांचल ग्रामों में शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षित करने 124 केंद्रों का शुभारम्भ

ग्राम में ही मिलेगी बच्चों को संस्कारित शिक्षा

नवभारत न्यूज

सिलवानी, 02 जुलाई. वनांचल ग्रामों में बच्चे को संस्कारित शिक्षा उपलब्ध कराए जाने को लेकर सिलवानी तहसील सहित जिले भर के 124 ग्रामों में संस्कार केंद्रों का शुभारंभ किया गया है जहां कि प्रवेशित बच्चो को देश भक्ति से ओतप्रोत संस्कारित शिक्षा दी जाएगी.

जनजाति क्षेत्र की शिक्षा विद्या भारती मध्य भारत प्रांत संचालित भाऊराव देवरस सेवा न्यास के द्वारा वनांचल ग्रामो में 124 सरस्वती संस्कार केंद्रों का वंदना प्रार्थना, हवन पूजन के साथ शुभारंभ किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथियों के द्वारा विद्या भारती का परिचय व लक्ष्य के बारे में विस्तृत विवेचना करते हुए जनजाति शिक्षा के सात आयाम शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति स्वावलंबन, स्वदेशी प्रेम, समरसता, नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा के आयामों के बारे मे जानकारी दी गई. यहां पर पंच परिवर्तन पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन, स्वा का बोध, नागरिक कर्तव्य,समरसता पर भी विस्तार से प्रकाश डाला गया. बताया कि आज की परिस्थितियों को देखते हुए भैया वहिनो को संस्कारयुक्त शिक्षा देना बहुत महत्वपूर्ण हो गया हैं, जो संस्कार केंद्र के माध्यम से आचार्य दीदी संस्कार मय शिक्षा देने का कार्य करेंगे. शिक्षा के साथ साथ सामाजिक सरोकार के कार्य पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षरोपण, जल संरक्षण, पॉलीथिन , मुक्त घर गांव बनाना, अन्नपूर्णा मंडपम प्रत्येक घर मे जैविक सब्जी, जैविक कृषि का उत्पादन करना आदि विषयों पर वर्ष भर संस्कार केंद्र संचालित किए जाएंगे.

शुभारंभ अवसर पर संकुल प्रभारी प्रताप कुशवाहा, राजाराम उइके, उमेश साहू, उप संकुल प्रभारी जीवन उइके, पुरुषोत्तम वारीवा, रामप्रकाश प्रजापति, केशव ठाकुर, यशकुमार धुर्वे, रामबाबू जगेत, मंगलदास मेहरा, वीरेंद्र गुर्जर, अरविंद्र विश्वकर्मा, अमित काकोड़िया आदि उपस्थित रहे.

In The Court Of Civil Judge Class-I, Begumganj, District Court, Raisen

Presiding Officer: श्रीमती अन्ना ग्लोरी माहेश्वरी

(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)

(RCS A/0000051/2021)

गजराज सिंह ....वादी

Vs

आजाद रानी ....प्रतिवादी

Process Id-/2025

पेशी दिनांक: 09/07/2025

प्रेषिती-

(1) श्रीमती मेंदा बाई पिता स्व. बलवन्त सिंह दांगी पत्नि मंगल सिंह दांगी पता- निवासी ग्राम चैनपुरा सरखडी जिला सागर म.प्र. (2) श्रीमती पार्वती बाई पिता स्व. बलवन्त सिंह दांगी पता- निवासी ग्राम पथरिया जिला दमोह म.प्र.

यह कि प्रार्थी गजराज सिंह ने आपके विरूद्ध वाद हेतु के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात / हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके. आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें. आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा. साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें.

यह आज तारीख 25 जून 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है.

न्यायालय, (अन्ना ग्लोरी माहेश्वरी)
व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बेगमगंज,
जिला रायसेन (म.प्र.)

नोट-यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो अगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा.